

प्रभु,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में
सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा बन्द-2 समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

पत्राक-सौ / 2053562 / एनओसीओ / 2018-19


दिनांक 27-06-2018


विषय-एनओसीओ पब्लिक स्कूल, छतमरा, कानपुर नगर को सीओबीओएसओईओ नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

भावार्थ,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:1916/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 27-06-2018 में लिए गये निर्णयानुसार एनओसीओ पब्लिक स्कूल, छतमरा, कानपुर नगर को सीओबीओएसओईओ नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उओप्रओ द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गैरघाटी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उओप्रओ माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इम्प्रूवमेंट स्कूल सर्टिफिकेट इकजांमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्त नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओ में रखा जायेगा।


MANAGER
M.D.M. PUBLIC SCHOOL
CHHATMARA, KANPUR


M. D. M. Public School
Chhatmara, Kanpur (U.P.)

9. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रतिबंधों का पालन कराना तथ्या के लिए अनिवार्य होगा और उक्त प्रतिबंधों को सोसाइटी के बायलॉज में समाविष्ट कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, साथ ही यदि कोई तथ्य छिपा हुआ पाया जाता है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।

सुधीय
27/06/18
(सुधीय यन्दु शर्मा)

आयुक्त
कानपुर मण्डल, कानपुर

402102110/2055-62

/2018-19

तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, (माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र० शिविर कार्यालय 18 पार्क राड लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
5. निरीक्षक-आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. प्रबन्धक/सचिव, एम०डी०एम० पब्लिक स्कूल, छतमरा, कानपुर नगर।
7. माल्ड फाइल।

527.6.18
(के०के० गुप्ता)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
कानपुर मण्डल, कानपुर

कुरुम लता
MANAGER
M.D.M. PUBLIC SCHOOL
CHHATMARA, KANPUR

Kipathi
Principal
M. D. M. Public School
Chhatmara, Kanpur (U.P.)